राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर

क्रमांक:F26(4)(18)/ मेडीकल कन्वरजेन्स /IEC/ICDS/2017-18/ 16115-451 जयपुर दिनांक : 25-1-2019

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
समस्त

विषयः– एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम एवं नशा मुक्त अभियान के संबंध में दिशा–निर्देश

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसा कि आपको विदित है कि एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत राजस्थान में दिनांक 29 जनवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा एनीमिया मुक्त राजस्थान कर्यक्रम का शुभारंभ किया जाना है। उक्त कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आप निम्न दिशा निर्देशो को ध्यान मे रखते हुये उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें–

एनीमिया मुक्त राजस्थान की रणनीति में निम्नलिखित छः नवाचार (Interventions) को शामिल किया गया है–

1. रोगनिरोधी आयरन फॉलिक एसिड संपूरण (Prophylactic Iron and Folic Acid supplementation)
2. कृमि–नियंत्रण (Deworming)
3. मुख्य व्यवहारों जैसे–
   (क) आयरन फॉलिक एसिड संपूरण और कृमि नियंत्रण के प्रति वचनबद्धता (Commitment)
   (ख) नवजात एवं शिशु को समुचित आहार देने का अभ्यास,
   (ग) स्थानीय संसाधनों का उपयोग बढाते हुए खाद्य विविधता/मात्रा/आवृति और आयरन, प्रोटीन और विटामिन–सी की अधिकता वाले आहारों के प्रयोग को बढ़ावा देना
   (घ) स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव के बाद देर से (3 मिनट बाद) जन्म–नाल को काटना सुनिश्चित करना जैसे व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष–पर्यन्त सघन व्यवहार बदलाव (SBCC) अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित करना।
4. गर्भवती महिलाओं और विद्यालय नहीं जा रहे किशोर/किशोरी पर विशेष ध्यान देते हुए, डिजिटल विधियों का प्रयोग करते हुए एनीमिया की जांच और देखभाल के साथ ही उपचार करना **(Test, Treat and Talk)**।
5. सरकार द्वारा वित्तपोषित लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन सवंर्द्धित (Fortified) खाद्य प्रदार्थो का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने का प्रावधान करना।
6. इंडेमिक क्षेत्रों में मलेरिया पर विशेष ध्यान देते हुए, एनीमिया के गैर पोषण कारकों (Non-nutritional causes of anemia) पर नियंत्रण करना।

एनीमिया मुक्त राजस्थान के लाभार्थी–

क्र.स.	लाभार्थी	खुराक	
1.	बच्चे (6 से 59 माह)	सप्ताह मे दो बार सोमवार व गुरूवार	1 एम.एल आयरन सिरप
2.	किशोर (10 से 19 वर्ष)	साप्ताहिक	आई.एफ.ए की एक नीली गोली
3.	किशोरी (10 से 19 वर्ष)	साप्ताहिक	आई.एफ.ए की एक नीली गोली
4.	प्रजनन उम्र की महिलाऐं (20 से 24 वर्ष)	साप्ताहिक	आई.एफ.ए की एक नीली गोली
5.	गर्भवती महिलाऐं	कम से कम 180 दिन (गर्भावस्था के चौथे माह के पश्चात)	आई.एफ.ए की एक लाल गोली
6.	बच्चों को स्तनपान कराने वाली माता (धात्री माताएं)	कम से कम 180 दिन	आई.एफ.ए की एक लाल गोली

- राज्य के छः से उनसठ माह के बच्चों को आशा–सहयोगिनी/आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता द्वारा गृह–भ्रमण के पहले सप्ताह के दौरान अपने पर्यवेक्षण में आईएफए सिरप की एक एम.एल दवा सप्ताह में दो बार सोमवार व गुरुवार पिलायेगी। इसके साथ ही माता/देखभालकर्ता को ऑटो–डिस्पेसर शीशी के माध्यम से आईएफए सिरप सप्ताह में दो बार पिलाये जाने की विधि भी सिखायेगी। जिससे माता/देखभालकर्ता आईएफए सिरप आसानी से पिला सके। आशा सहयोगिनी गृह भ्रमण के दौरान रोजाना पर्यवेक्षण करेगी तथा इसकी मासिक सूचना निर्धारित प्रपत्र में भरकर ए.एन.एम के माध्यम से चिकित्सा विभाग को देगी तथा चिकित्सा विभाग द्वारा इस रिपोर्ट को पी.सी.टी.एस सॉफ्टवेयर में इन्द्राज करवाया जायेगा।
- राज्य में दस से उन्नीस वर्ष की किशोरी बालिकाएं जो स्कूल नही जाती है, उनको आशा सहयोगिनी द्वारा आंगनवाड़ी पर मोबिलाईज कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आई.एफ.ए की नीली गोली कार्यकर्ता के निगरानी में खिलाना सुनिश्चित करवावें।
- राज्य की समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के चतुर्थ माह से (द्वितीय तिमाही/14वें सप्ताह से) पूरे गर्भावस्था के दौरान कम से कम 100 दिन, धात्री माताओं को प्रसव के पश्चात छः माह तक एवं प्रजननशील महिलाओं को आई.एफ.ए. की लाल गोली खिलवाना सुनिश्चित करना एवं इसकी रिपोर्ट को ए.एन.एम के माध्यम से पी.सी.टी.एस. सॉफ्वेयर मे इन्द्राज करवाया जायेगा।
- राज्य के एक से दो वर्ष तक के समस्त बच्चों को आधी गोली एवं दो वर्ष से उन्नीस वर्ष के सभी बालक/बालिकाओं को एक गोली तथा प्रजननशील महिलाओं/गर्भवती महिलाओं/ धात्री माताओं को वर्ष मे एक बार अल्बेंडाजोल गोली खिलवाना सुनिश्चित करना।
- दवाईयों की सप्लाई खत्म होने से तीन माह पूर्व आगामी मांग हेतु मांग–पत्र एएनएम के माध्यम से चिकित्सा विभाग को भिजवा कर आयरन सिरप व आयरन की नीली व लाल गोली की उपलब्धता सुनिश्चित करवावें।
- आई.एफ.ए की सिरप व गोली (नीली व लाल) एवं एलबेन्डाजॉल की गोली राज्य के समस्त आंगनवाडी केन्द्रों में प्रर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कार्यक्रम की रिपोर्ट ऑनलाईन पॉर्टल पर अपडेट हेतु आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा मासिक रिपोर्ट आशा सहयोगिनी के माध्यम से एएनएम को समय से उपलब्ध करवावें।
- कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु एनीमिया मुक्त राजस्थान की गाइडलाइन परियोजना, सैक्टर व आंगनवाडी केन्द्रो पर उपलब्ध करवाना एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- पोषण अभियान के तहत अन्तर विभागीय समन्वय हेतु जिला अभिसरण समिति (District convergence committee) का गठन किया गया है। अतः एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम से संबंधित वे सभी मुद्दो पर अंतर– विभागीय समन्वय हेतु इस बैठक मे आवश्यक चर्चा की जावे।
- जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्ड स्तर पर खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यक्रम के नोडल अधिकारी को कार्यक्रम के बारे मे चर्चा करें।

- आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स तंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सभी लाभार्थियों के लिए आई.एफ.ए संपूरण (सिरप व गोली) एवं अल्बेंडाजोल गोली की वार्षिक आवश्यकता का आंकलन करें तथा चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय कर वार्षिक मांग के अनुसार आईएफए व अल्बेंडाजोल की आपूर्ति आंगनवाडी स्तर तक करना सुनिश्चित करवाना।
- एनीमिया मुक्त भारत के डेश बोर्ड पर विभागों से प्राप्त सूचना का संधारण करवाना व समय समय पर रिपोर्ट का मूल्यांकन कर प्राप्त नतीजो को सुधारने का उचित प्रयास करना व सहयोगी विभागों से समन्वय स्थापित करना।
- विभाग द्वारा समुदाय, मीडिया, आंगनवाडी केन्द्र व प्रशासन, धार्मिक गुरूजन पदाधिकारीयों, पंचायत नेता, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता एवं पोषण समिति (वीएचएसएनडी) आदि मे सम्मिलित कर इस कार्यक्रम को ओर अधिक संवेदनशील बनाने के लिए समुदाय में व्यवहारगत बदलाव हेतु निम्न विषयों पर व्यवहार परिवर्तन हेतु गतिविधियाँ तैयार की गई हैं:–
    1. आयरन फॉलिक संपूरण और कृमि नियत्रण का अनुपालन
    2. छोटे शिशुओं के खानपान अभ्यास (आईवाईसीएफ) के साथ–साथ छः माह के बाद विविधता व गुणवत्तापूर्ण पूरक आहार देने पर ध्यान देना।
    3. खाद्य विविधता/मात्रा/आवृति और खाद्य सवंर्द्धन को बढावा देते हुए आयरन, विटामिन सी एवं प्रोटीन अधिकता वाले भोजन के उपयोग को बढ़ावा देना।
    4. सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव पश्चात जन्म–नाल काटना (जन्म के तीन मिनट बाद, जब तक कि नाल में रक्त–संचार स्थिर न हो जाए)
    5. जन्म के एक धण्टे के अन्दर शीध्र स्तनपान को प्रारंभ कराना।
- विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं/धात्री माताओं/प्रजननशील महिलाओं में एनीमिया की जांच के लिए प्रसवपूर्व देखभाल सूविधा एमसीएचएन दिवस पर तथा उपस्वाथ्य केन्द्रों पर एएनएम के माध्यम से सुनिश्चित करना।
- स्कूल नही जाने वाली किशोरी बालिकाओं में एनीमिया की जांच के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)के भ्रमणशील टीम द्वारा नॉन–इनवैसिव डिजिटल हीमोग्लोबिनमीटर द्वारा हीमोग्लोबिन के स्तर की जाँच की जाएगी तथा एनीमिया के स्तर के अनुसार उनको सलाह व उपचार दिया जायेगा **(Test, Treat and Talk camps)**।
- मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ एंडेमिक जिलों/ब्लॉक में विशेष प्रयास किए जाने हैं सभी मलेरिया के मरीजों की एनीमिया सम्बन्धी जाँच जिसमें गर्भवती व बच्चों की प्राथमिकता से जांच की जानी है तथा विभाग द्वारा एनीमिया के गैर–पोषण संबंधी कारणों के बारे में जागरूकता व व्यवहारगत परिवर्तन हेतु विशेष गतिविधियाँ बार बार की जानी सुनिश्चित करना।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से समेकित महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला स्तर व परियोजना स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों का प्रबंध करना ।
- आई.एफ.ए सिरप व गोलियों का उचित रूप से आंगनवाडी केन्द्रो पर उपलब्धता सुनिश्चित करवाना ।
- कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु अन्य विभागों के साथ माह में एक बार संयुक्त विजिट व पर्येवेक्षण सभी स्तर (परियोजना स्तर, आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर, मातृ समिती बैठक, समुदाय आधारित आयोजन (CBE), एम.सी.एच.एन. दिवस) पर की जाये तथा विभागीय मोनिटरिंग निरन्तर जारी रहे।

नशा मुक्त अभियान हेतु निम्न कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:–

- राज्य के सभी आंगनवाडी केन्द्रो को नशा मुक्त घोषित करने हेतु प्रयास किया जावे।
- आंगनवाडी केन्द्रो के 100 गज के दायरे मे तम्बाकू उत्पादो की बिक्री पर प्रतिबन्ध की पालना सुनिश्चित करना।
- राज्य मे समस्त बच्चों किशोर बालक व किशोरी बालिकाएं प्रजननशील महिलाओं/ गर्भवती महिलाओं/धात्री माताओं को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना।
- महिलाओ को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं/धात्री माताओं को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना।
- एसएचजी बैठक, मातृ समिती बैठक, समुदाय आधारित आयोजन (CBE), एम.सी.एच.एन. दिवस मे तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति समुदाय को जागरूक करना साथ ही दिनांक 29.01.2019 को सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 'प्लेज फॉर लाईफ' शपथ का भी आयोजन किया जाना सुनिश्चित करावें।

25/1/19

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:F26(4)(18)/ मेडीकल कन्वरजेन्स /IEC/ICDS/2017-18/16452-457 जयपुर दिनांक : 25-1-19

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग,जयपुर,राजस्थान।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमती मीनाक्षी सिंह, पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ राजस्थान।
4. निदेशक, आरसीएच, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर
5. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

25/1/19

अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर।

जिलाः- .....

दिनांक 29.01.2019 को कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की उपस्थिति
विद्यालय/महाविद्यालय/चिकित्सा संस्थान/छात्रावास/पुलिस थाना/आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा अन्य
राजकीय/निजी संस्थान का नाम .....

ब्लॉक .....

क्र.सं.	विभाग का नाम	कुल संस्थान	कुल प्रतिभागी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
(नोडल ऑफिसर)

जिला कलक्टर के हस्ताक्षर

"जीवन के लिये प्रतिज्ञा"

(Pledge for Life)

मैं एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप मे शपथ लेता हूँ/लेती हूँ कि मैं जीवन मे कभी भी किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों एवं नशीले पदार्थो का सेवन नही करूंगा/करूंगी। मैं अपने परिजनो, मित्रों एवं परिचितो को भी तम्बाकू उत्पादों एवं नशीले पदार्थों को सेवन नही करने के लिए प्रेरित करूंगा/करूंगी।

तम्बाकू मुक्त परिसर

इस परिसर में किसी भी रूप में तम्बाकू का उपभोग निषेध है एवं दण्डनीय अपराध है, इसके उल्लंघन पर रूपये 200 तक का जुर्माना किया जा सकता है।

तम्बाकू छोडने के लिए 1800112356 पर कॉल करें

अथवा 01122901701 पर मिस्ड कॉल करें

TOBACCO FREE ZONE